FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0238 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 23/08/2026 13:53 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 19/08/2026 **Date To (दिनांक तक):** 20/08/2026

Time Period (समय अवधि): पहर 4 **Time From (समय से):** 12:10 बजे **Time To (समय तक):** 10:20 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 23/08/2026 **Time (समय):** 13:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 23/08/2026 13:53:49 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 40 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** SAMUDAYIK SWASTHYA KENDRA, HALENA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** DEVENDRA SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** PRITAM SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1996 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	TAJPUR, POLICE THANA HALENA, HALENA, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	TAJPUR, POLICE THANA HALENA, HALENA, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	MURARILAL MEENA		पिता:RAMKARAN MEENA	1. BAI,HALENA,BHARATPUR,RAJ

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर विषय- रिश्वत राशि लेते हुए पकडवाने हेतु। महोदय, निवेदन है कि मै देवेन्द्र सिंह जाति गुर्जर उम्र 30 साल गांव ताजपुर पुलिस थाना हलैना का निवासी हुं। मेरी 2024-25 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हलैना जिला भरतपुर में मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना 2021 के तहत कार्यालय में बेराजगार भत्ता (इंटरशिप) हेतु अटेन्डेन्स करता हुं। मेरी पिछली चार माह अप्रैल,मई,जून 2026 व जुलाई की अटेन्डेन्स ऑनलाईन अपलोड करने हेतु कार्यालय में उपस्थित श्री मुरारीलाल मीणा पद नर्सिगं ऑफीसर ने मेरे से मेरी अटेन्डेन्स ऑनलाईन करने की एवज में 2000 रूपये रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा है। मै ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत नही देना चाहता हुं। रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं। मेरा उक्त कर्मचारी से कोई लेन देन बकाया नही है ना ही कोई रंजिश है। श्रीमान से निवेदन है कि कार्यवाही करने की कृपा करें। एसडी देवेन्द्र सिंह प्रार्थी देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह जाति गुर्जर उम्र 30 साल गांव ताजपुर पुलिस थाना हलैना जिला भरतपुर मोबाईल नम्बर एसडी महेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक एसीबी भरतपुर 19.08.26, एसडी ब्रजेश कुमार 19.08.26 एसडी सोन्टी सिंह 19.08.26 कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 19.08.2026 समय 12.10 पीएम पर परिवादी देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह जाति गुर्जर उम्र 30 साल गांव ताजपुर पुलिस थाना हलैना जिला भरतपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट मय अपने आधार कार्ड की छायाप्रति के अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर के पद नाम संबोधित करते हुए श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित सिंह को पेश की श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन पुलिस निरीक्षक महेन्द्र सिंह को अपने कक्ष में बुलाकर प्रार्थना पत्र व परिवादी सुपुर्द कर मेरे साथ मेरे कक्ष में भेजकर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये। परिवादी ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मै देवेन्द्र सिंह जाति गुर्जर उम्र 30 साल गांव ताजपुर पुलिस थाना हलैना का निवासी हुं। मेरी 2024-25 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हलैना जिला भरतपुर में मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना 2021 के तहत कार्यालय में बेराजगार भत्ता (इंटरशिप) हेतु अटेन्डेन्स करता हुं। मेरी पिछली चार माह अप्रैल,मई,जून 2026 व जुलाई की अटेन्डेन्स ऑनलाईन अपलोड करने हेतु कार्यालय में उपस्थित श्री मुरारीलाल मीणा पद नर्सिगं ऑफीसर ने मेरे से मेरी अटेन्डेन्स ऑनलाईन करने की एवज में 2000 रूपये रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा है। मै ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत नही देना चाहता हुं। रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं। मेरा उक्त कर्मचारी से कोई लेन देन बकाया नही है ना ही कोई रंजिश है। श्रीमान से निवेदन है कि कार्यवाही करने की कृपा करें। उपरोक्त रिपोर्ट पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो बताया कि उक्त तहरीरी रिपोर्ट मेरे द्वारा हस्तलिखित है एवं तहरीरी रिपोर्ट पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मजीद दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है फिर भी विभागीय प्रकिया अनुसार रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा। गोपनीय सत्यापन से जैसी स्थिति होगी अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। तत्पश्चात समय-12.50 पी.एम. पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में कार्यालय की आलमारी से परसराम कानि. नं.203 से डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर व मैमोरी कार्ड सेनडिस्क 32 जीबी निकलवाकर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में उक्त मैमोरी कार्ड डालकर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह को चालू एवं बन्द करने की विधि समझायी गई उक्त विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री परसराम कानि. नं.203 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह को आरोपी के पास जाने से पूर्व रिकार्डर चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द करे तथा परिवादी के बाहर आने पर वापस प्राप्त कर बन्द कर ज्यों का त्यौं सुरक्षित लेकर आवे इससे छेडछाड नही करें रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु श्री परसराम कानि. नं.203 व परिवादी को सरकारी बोलेरो मय चालक श्री मनोज कुमार कानि. के सामुदायिक उप. स्वास्थ्य केन्द्र हलैना जिला भरतपुर रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय-02.30 पीएम पर श्री परसराम कानि. नं.203 मय परिवादी मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री मनोज कुमार कानि. के उपरोक्त फिकरावाला का रवाना शुदा उपस्थित कार्यालय आये। श्री परसराम कानि. नं.203 से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर बन्द हालात में प्राप्त किया गया तथा परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं व परसराम कानि. आपके कार्यालय की सरकारी बोलेरो मय चालक श्री मनोज कुमार कानि. कार्यालय से रवाना होकर सामुदायिक उप. स्वास्थ्य केन्द्र हलैना जिला भरतपुर के सामने पहुंचे जंहा परसराम कानि. नं.203 ने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर मुझे सुपुर्द कर दिया

व परसराम कानि. एवं मनोज कुमार कानि. वहीं आस पास खडे हो गये। मै डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर लेकर सामुदायिक उप. स्वास्थ्य केन्द्र हलैना के अन्दर मुरारीलाल मीणा नर्सिगं ऑफीसर के पास गया तो उसने मेरे से 1500/- रूपये रिश्वत की मांग कर 500/- रूपये अभी ले लिए है और 1000/- रूपये आधा घन्टे बाद लाने के लिए कहा। इसके बाद मैने दुबारा जाकर आधा घन्टे बाद आने में असमर्थता जाहिर की तो कल सुबह करीब 09 बजे तक रिश्वत राशि लेकर बुलाया। इसके बाद मै सामुदायिक उप. स्वास्थ्य केन्द्र हलैना से बाहर आकर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को परसराम कानि. को सुपुर्द कर दिया जिसने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। रिश्वत संबधी वार्तालाप मैने परसराम कानि. को भी बताई थी। परसराम कानि. से पूछने पर परिवादी की बताई हुई बातों की ताईद की। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर सुना गया तो उसमें रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप होना पाई गई। डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमारी कार्ड को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया। फर्द वापसी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 02.50 पीएम पर पूर्व से दीगर गोपनीय राजकार्य में पाबन्दशुदा गवाहान को जरिये फोन तलब करने पर उपस्थित कार्यालय आये। उपरोक्त गवाहान को मन पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देकर उनसे उनका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम क्रमशः ब्रजेश कुमार पुत्र श्री चंद्रपाल सिंह जाति जाटव उम्र 35 साल निवासी गली नम्बर 02 तिलक नगर पुलिस थाना अटलबंद जिला भरतपुर हाल सूचना सहायक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भरतपुर व सोन्टीसिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह जाति जाट उम्र 31 साल निवासी नीमदा गेट भरतपुर पुलिस थाना अटलबंद जिला भरतपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग , भरतपुर होना बताया। पूर्व से कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह व गवाहान का आपस में परिचय से करवाया गया एवं परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह द्वारा करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत कराकर परिवादी द्वारा पेश की तहरीरी रिपोर्ट को दोनो गवाहों को पढवाया जाकर उनसे ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान रहने की अनुमति चाही गई तो दोनो गवाहों ने अपनी अपनी मौखिक सहमति दी एवं प्रमाण स्वरूप परिवादी द्वारा पेश की गई तहरीरी रिपोर्ट पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात समय- 03.00 पीएम पर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड जिसमें आज दिनांक 19.08.2026 को परिवादी व आरोपी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता सेव है को कार्यालय की अलमारी से निकालकर कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाइल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय-03.10 पीएम पर परिवादी देवेन्द्र सिंह व आरोपी मुरारीलाल मीणा नर्सिगं ऑफीसर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हलैना जिला भरतपुर के मध्य आज दिनांक 19.08.26 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है, को कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर के मैमोडी कार्ड में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के समक्ष रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में रूपान्तरण व हिन्दी भाषा में अनुवाद श्री परसराम कानि नं. 203 से तैयार करवाया श्री दुष्यतं सिंह सहायक प्रौग्रामर द्वारा तीन सीडी तैयार करवाई गई। उक्त तीन सीडीयों में सेव ऑडियों फाईल की FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। मूल सीडी एवं मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " ए " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं मुल्जिम प्रति सीडी को कपडे की थैली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। डिजीटल वाईस रिकार्डर में से मैमोरी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " एम " अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तथा मूल व मुल्जिम सीडी व मैमोरी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री रवि कुमार हैड कानि0 52 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति सीडी पर संबधितों के हस्ताक्षर कराकर खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय-04.45 पीएम पर परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह ने बताया कि मैं कल दिनांक 20.08.26 को सुबह रिश्वत राशि की व्यवस्था कर आपको डहरा मोड पर मिल जाउंगा तत्पश्चात परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह को मय रिश्वत राशि के डहरामोड मिलने एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को कल प्रातः 08.00 बजे कार्यालय में उपस्थित होने व गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रूखसत किया गया । तत्पश्चात दिनांकः-20.08.2026 समय 08.20 ए. एम. पर पूर्व से पाबंदशुदा दोनो स्वतंत्र गवाह उपस्थित कार्यालय आये जिन्हे कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात समय 08.50 ए.एमः पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय श्री रितेश कुमार कानि.नं. 64 मय ट्रेप बॉक्स , लैपटॉप प्रिन्टर, विभागीय वीडियाकैमरा मय मैमोरी कार्ड, डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर व मैमोरी कार्ड , प्राइवेट वाहन के व श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक , श्री दिलीप कुमार कानि. नं. 610 , श्री परसराम कानि. नं. 203, श्री रविकुमार हैडकानि.नं. 52 मय फिनॉफ्थलीन पाउडर के डिब्बा के मय प्राइवेट वाहन के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हलैना जिला भरतपुर रवाना हुए। तत्पश्चात समय 09.10 ए.एमः पर उपरोक्त

फिकरा का रवानाशुदा मन पुलिस निरीक्षक मय हमराही जाब्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय प्राइवेट वाहनों मय ट्रेप साजो सामान के डहरा मोड चौराहा पहुंचा जहां पूर्व से पाबंदशुदा परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह उपस्थित मिला । तत्पश्चात समय 09.15 ए.एमः पर दोनो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह उम्र 30 साल जाति गुर्जर निवासी गांव ताजपुर पुलिस थाना हलैना जिला भरतपुर से आरोपी मुरारीलाल मीना नर्सिंग ऑफीसर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से रिश्वती राशि 500-500 रूपये के 02 नोट भारतीय चलन मुद्रा के नोट कुल 1,000/-(एक हजार) रूपये अपने पास से निकालकर मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये नोटों के नम्बरों को बोल-बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्री रवि कुमार हैडकानि. नं.52 से के पास सुरक्षित रखे हुए फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा मंगवाया जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त नोटों पर श्री रवि कुमार हैडकानि से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री सोन्टी सिंह से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 1,000/-रूपये के नोटों को श्री रवि कुमार हैडकानि से परिवादी की पहनी हुई पेंट की सामने की दांयी जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत देने की स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री ब्रजेश कुमार से ट्रेप बॉक्स में से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को निकालकर प्राइवेट गाडी में रखी पानी की बोतल में से साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री रवि कुमार हैडकानि के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन को रोड के साइड में फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर के डिब्बा को बंद ढक्कन कराकर श्री रवि कुमार हैडकानि को संभलाकर एसीबी कार्यालय भरतपुर रवाना किया गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन पुलिस निरीक्षक ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोड कर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को सरकारी डिजिटल वॉइस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड सैनडिस्क 32 जीबी डालकर वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। फर्द पेशकशी मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय- 09.35 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय श्री रितेश कुमार कानि.नं. 64, परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह मय ट्रेप बॉक्स , लैपटॉप प्रिन्टर, विभागीय वीडियाकैमरा मय मैमोरी कार्ड, प्राइवेट वाहन के व श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय, श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक , श्री दिलीप कुमार कानि. नं. 610 , श्री परसराम कानि. नं. 203, मय प्राइवेट वाहन के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हलैना जिला भरतपुर रवाना हुए। तत्पश्चात समय- 09.50 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय श्री रितेश कुमार कानि.नं. 64, परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह मय ट्रेप बॉक्स , लैपटॉप प्रिन्टर, विभागीय वीडियाकैमरा मय मैमोरी कार्ड, प्राइवेट वाहन के व श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय, श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक , श्री दिलीप कुमार कानि. नं. 610 , श्री परसराम कानि. नं. 203, मय प्राइवेट वाहन के फिकरा उपरोक्त का रवानाशुदा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हलैना के पास पहुंचा। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह को आरोपी मुरारीलाल नर्सिंग ऑ◌ॅफीसर से रिश्वत लेनदेन के लिए रवाना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हलैना किया किया गया। मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान मय स्वतंत्र गवाहान के परिवादी के नियत इशारे के इंतजार में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हलेना के आसपास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम हुआ। तत्पश्चात समय- 10.20 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक महेन्द्र सिंह को समय 10.10 ए.एम. पर परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह के नियत ईशारे की सूचना प्राप्त होने पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाब्ता , मय स्वतंत्र गवाहान के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हलैना के अन्दर कमरा नम्बर 02 के सामने पहुंचा तो परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह कमरे के बाहर उपस्थित मिला जिससे पूर्व से सुपुर्दशुदा डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा । तत्पश्चात परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह ने बताया कि कमरे के अन्दर घुसते ही गुलाबी शर्ट पहने हुए बैठा हुआ व्यक्ति ही मुरारीलाल मीना नर्सिंग ऑफीसर है जिसने अभी अभी मेरे से रिश्वत राशि 1000 रूपये अपने बांये हाथ से लेकर अपने पहने हुए पेंट की बांयी जेब में

रख लिये हैं। आदि पर मन पुलिस निरीक्षक ने मय हमराहीयान मय गवाहान के कमरे के अंदर प्रवेश कर अपना व हमराहीयान का परिचय देकर एवं सरकारी वीडियोकैमरा से श्री रितेश कुमार कानिस्टेबल से रिकॉर्डिंग चालू कराकर गुलाबी शर्ट में बैठे हुए व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मुरारीलाल मीना पुत्र श्री रामकरण मीना जाति मीना उम्र 49 साल निवासी बाई पुलिस थाना हलैना जिला भरतपुर होना बताया। आरोपी से परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह से ली गई रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछा तो आरोपी मुरारीलाल मीना ने रिश्वत राशि लेकर अपने पहने हुए पेंट की बांयी तरफ की सामने की जेब में रखा होना बताया। उक्त रिश्वत राशि को स्वतंत्र गवाह श्री ब्रजेश कुमार से आरोपी की जेब से निकलवाकर गिनवाकर एवं पूर्व में तैयार की गई फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो मिलान होना पाया गया तत्पश्चात रिश्वत राशि को सुरक्षित उक्त गवाह के पास ही रखवाया गया। आरोपी मुरारीलाल मीना से पुनः तसल्ली देकर रिश्वत राशि के बारे में पूछने पर बताया कि उक्त रिश्वत राशि मैंने देवेन्द्र सिंह के बेरोजगारी भत्ता की हाजिरी करने के लिए हैं। इसके बाद पास में खडे हुए परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह से पूछने पर परिवादी ने बताया कि मेरी ऑनलाइन हाजिरी करने की एवज में मुरारीलाल मीना ने कल दौराने रिश्वत मांग 1500 रूपये रिश्वत की मांग कर 500 रूपये मुझसे ले लिए थे तथा शेष 1000 रूपये अभी अभी मेरे से लिए हैं। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही करते हुए स्वतंत्र गवाह श्री सोंटीसिंह से ट्रेप बॉक्स में से पारदर्शी दो डिस्पोजल गिलासों को निकलवाकर अस्पताल के उक्त कमरे में रखी हुए पानी की बोतल में से साफ पानी मगवा कर दो गिलासों को साफ करवाकर पानी डलवाकर एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर स्वतंत्र गवाह सोंटीसिंह से डलवाकर हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर दोनो गिलासों के घोल में आरोपी मुरारीलाल मीना नर्सिंग ऑफिसर के क्रमशः बांये हाथ एवं दांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग क्रमशः हल्का गुलाबी व गदमैला हो गया जिसे सभी को दिखाकर चार कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर क्रमशः मार्क एल.एच -1 व एल.एच.-2 एवं आर एच-1 व आर एच-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तथा डिस्पोजल गिलासों को नष्ट किया गया तत्पश्चात पुनः गवाह श्री सोन्टीसिंह से ट्रेप बॉक्स से डिस्पोजल गिलास निकलवाकर अच्छी तरह साफ करवा कर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में आरोपी मुरारीलाल मीना नर्सिंग ऑफीसर के पहने हुए पेंट बरंग सफेद को ससम्मान उतरवाकर एवं तौलिया पहनवाकर पेंट की सामने की बांयी जेब को उल्टा कर उक्त घोल में डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क पीपी-1 व पीपी-2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया व डिस्पोजल गिलास को नष्ट कराया गया तथा पैंट को सुखवाकर बांये जेब पर सम्बंधित के हस्ताक्षर कराकार पैंट को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील मौहर किया जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर कराकर मार्क पीपी अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री ब्रजेश कुमार के पास पूर्व से रखी हुई रिश्वत राशि 1,000/- रूपये के नम्बरों को पुनः पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो नोटों के नम्बर हूबहू पाए गये। उक्त नोटों को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया परिवादी से प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण कम्प्यूटर की सहायता से टेबल स्पीकर से सुना जाकर तैयार करवाया जावेगा। तत्पश्चात बाजार से एक पायजामा मंगवाया जाकर आरोपी मुरारीलाल मीना को ससम्मान पहनाया गया। तत्पश्चात आरोपी मुरारीलाल मीना नर्सिंग ऑफीसर से परिवादी के बेरोजगारी भत्ते की हाजिरी से सम्बंधित दस्तावेजात के सम्बंध में पूछा तो आरोपी ने अपने कार्य करने की टेबल की रैक से निकालकर दो हाजिरी रजिस्टर व कार्यालय आदेश, इंटर्नशिप उपस्थिति प्रमाण पत्र माह जुलाई, इंटर्नशिप उपस्थिति ऑनलाइन प्रमाण पत्र व ऑनलाइन उपस्थित प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र पेश किये जिन्हे पृथक से जब्त किया जावेगा। आरोपी मुरारीलाल मीना नर्सिंग ऑफीसर का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित वर्ष 2018) अपराध श्रेणी में आता है। अतः उक्त आरोपी मुरारीलाल मीना नर्सिंग ऑफीसर को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा। रिश्वत राशि बरामदगी, हाथ धुलाई व पेंट धुलाई की कार्यवाही की विडियो ग्राफी सरकारी विडियो कैमरा से श्री रितेश कुमार कानि0 द्वारा कराई गई। जिसकी सीडी/ पेनड्राइव पृथक से तैयार की जावेगी। फर्द बरामदगी पृथक से मूर्तिव की जाकर बाद संबंधित के हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय- 12.00 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक ने उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री मुरारीलाल मीना नर्सिग ऑफीसर ने अपने कार्य करने की टेबल की रैक से परिवादी की हाजिरी से सम्बंधित दो हाजिरी रजिस्टर व कार्यालय आदेश, इंटर्नशिप उपस्थिति प्रमाण पत्र माह जुलाई, इंटर्नशिप उपस्थिति ऑनलाइन प्रमाण पत्र व ऑनलाइन उपस्थित प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र पेश किये परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह के हाजिरी से सम्बंधित रजिस्टरों एवं अन्य रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो हाजिरी रजिस्टर सं. 01 के कवर पेज पर कर्मचारी उपस्थिति पंजिका लिखा हुआ है एवं पेज सं. 01 से 07 तक माह अप्रेल 2026 की उपस्थिति अंकित है। पेज सं. 01 पर chc halena internship candidate attendence april 2026 से लिखा हुआ है

एवं पेज सं. 04 के क्रम सं. 11 पर परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह का नाम अंकित है एवं पेज सं. 08 से लेकर 13 तक माह मई 2026 की उपस्थिति अंकित है जिसमें पेज सं. 12 पर परिवादी का नाम क्रम सं. 25 पर अंकित है। पेज सं. 14 से 19 तक माह जून की उपस्थिति अंकित है जिसमें पेज सं. 16 के क्रम सं. 12 पर परिवादी श्री देवेन्द्रसिंह का नाम अंकित है एवं पेज सं. 20 से 25 तक माह जुलाई की उपस्थिति अंकित है जिसमें पेज सं. 22 पर क्रम सं. 12 पर परिवादी श्री देवेन्द्र सिंह का नाम अंकित है। पेज सं. 26 व 27 पर माह अगस्त 2026 का ब्यौरा है जो खाली है। उपस्थिति रजिस्टर सं. 02 के कवर पेज पर स्टॉफ उपस्थिति रजिस्टर लिखा हुआ है जो पेज सं. 01 से लेकर 28 तक है जिसमें पेज सं. 02 से 07 तक माह अगस्त 2026 की उपस्थिति अंकित है जिसमें पेज सं. 02 के क्रम सं. 09 पर परिवादी देवेन्द्र सिंह का नाम अंकित है। पेज सं. 08 से लेकर 28 तक खाली है। एवं अन्य दस्तावेजात की प्रति पेज संख्या 01 एक से 15 तक हैं । जिसमें पेज संख्या 01 एक पर कार्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हलेना भरतपुर के पत्र क्रमांक 317 दिनांक 14.07.26 से एक कार्यालय आदेश की प्रति जिसमें आरोपी श्री मुरारीलाल मीणा नर्सिंग अधिकारी द्वितीय को कार्यालय में इंटर्नशिप कर रहे इंटर्नी की उपस्थिति प्रति माह अपनी एसएसओ आई डी से रोजगार विभाग के ईईएमएस 2.0 पर पोर्टल पर मैप व अपलोड करने के आदेश हैं एवं पेज संख्या 08 से 11 तक उपस्थिति ओनलाईन करवाने हेतु परिवादी देवेन्द्रसिंह के मूल आवेदन पत्र हैं। पेज संख्या 12 व 13 पर ब्लॉक भुसावर पर भेजी गई उपस्थिति सूची व प्राप्ती अंकित है एवं पेज संख्या 14 पर परिवादी देवेन्द्रसिंह की माह जुलाई का ऑनलाईन उपस्थिति प्रमाण पत्र है। पेज संख्या 15 पर परिवादी देवेन्द्रसिंह की बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने हेतु उपस्थिति देने के आदेश हैं । उक्त दोनों मूल उपस्थिति रजिस्टरों के प्रथम पृष्ठ पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जाकर छायाप्रति कराई जाकर छायाप्रति व दस्तावेजात की फोटो प्रति श्री रविश यादव चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वस्थ्य केन्द्र हलैना भरतपुर से प्रमाणित कराकर रजिस्टरों व दस्तावेजात की फोटो प्रति के प्रथम व अंतिम पेज पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर जप्त किया गया । दोनों मूल रजिस्टरों को श्री रविश यादव चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वस्थ्य केन्द्र हलेना को सुपुर्द कर परिवादी श्री देवेन्द्रसिंह के वैद्य कार्य को करने की हिदायत दी गई। फर्द जब्ती रिकॉर्ड पृथक से मूर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय- 12.40 पीएम पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के आवश्यक कार्य होने से रवाना एसीबी कार्यालय भरतपुर हुए एवं पूर्व से पाबंदशुदा श्री मनोज कुमार कानिस्टेबल चालक मय सरकारी बोलेरो मय देवेन्द्र कुमार कानिस्टेबल, मनोज कुमार कानिस्टेबल , श्री मेघसिंह कानिस्टेबल के उपस्थित आये। तत्पश्चात समय- 01.20 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी मुरारीलाल मीना नर्सिंग ऑफीसर ग्रेड- । । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हलैना जिला भरतपुर परिवादी श्री देवेन्द्रसिंह से उसकी बेरोजगारी भत्ता की हाजरी ऑनलाईन करने की एवज में दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 19.08.26 को 1500 रूपये की मांग करना एवं 500 रूपये दौराने सत्यापन प्राप्त करना एवं आज दिनांक 20.08.26 को शेष रिश्वत राशि 1,000 लेते हुए रंगे हाथ पकडे जाने पर कारणों , कारित अपराध एवं संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाया जाकर उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित वर्ष 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर गिरफ्तार किया जाकर अभियुक्त की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री सोन्टीसिंह से लिवाई गई तो एक हाथ घडी पीटर इंगलैण्ड कम्पनी की एवं एक मोबाइल के अलावा अन्य कोई नकदी व वस्तु नही मिली और नाही कब्जा एसीबी ली गई , आरोपी के गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार आरोपी के भाई भरतलाल मीना को दी गई एवं आरोपी के मोबाइल एवं हाथ घडी को भी आरोपी के कहे अनुसार आरोपी के भाई श्री भरतलाल मीना को सुपुर्द किया गया। फर्द गिरफ्तारी पृथक से मूर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय- 02.10 पीएम पर घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका परिवादी की निशादेही पर गवाहान की मौजूदगी में पृथक से तैयार किया गया। फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय- 03.00 पीएम पर चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हलैना जिला भरतपुर के पदनाम से पत्र जारी कर आरोपी मुरारीलाल मीना नर्सिंग ऑफीसर का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय- 03.50 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय गिरफ्तारशुदा आरोपी मुरारीलाल मीना मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी मय जाब्ता मय शील्डशुदा रिश्वत राशि 1,000 रूपये मय धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट , डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मुताबिक फर्दात मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर मय सरकारी एवं प्राइवेट वाहनों के एसीबी चौकी भरतपुर के लिए रवाना हुआ। तत्पश्चात समय- 04.30 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय गिरफ्तारशुदा आरोपी मुरारीलाल मीना नर्सिंग ऑफीसर मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी मय जाब्ता मय शील्डशुदा रिश्वत राशि 1000 रूपये मय धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पैकिट , डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मुताबिक फर्दात मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर मय सरकारी एवं प्राइवेट वाहनों के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा एसीबी चौकी भरतपुर पहुंचा जहां जब्तशुदा रिश्वत राशि 1,000 रूपये एवं धोवन की शील्ड शीशियां कुल छः , शील्ड पैकिट को मुताबिक फर्दात के मालखाना प्रभारी श्री रविकुमार हैडकानि नं. 52 को दुरूस्त हालत में सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात समय- 04.40 पीएम पर श्री अवधेश कुमार हैडकानि. नं. 68 मय श्री नरेन्द्र सिंह कानि. नं. 69 करनसिंह कानि.नं. 387 मय गिरफ्तारशुदा आरोपी मुरारीलाल मीना नर्सिंग ऑफीसर मय सरकारी गाडी मय चालक मनोज कुमार कानि. नं. 643 के वास्ते कराने बन्द हवालात पुलिस थाना मथुरा गेट बाद हिदायत रवाना किया गया।

तत्पश्चात समय- 05.00 पीएम पर श्री अवधेश कुमार हैडकानि. नं. 68 मय श्री नरेन्द्र सिंह कानि.नं. 69 करनसिंह कानि.नं. 387 मय सरकारी गाडी मय चालक मनोज कुमार कानि. नं. 643 के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा बाद कराकर गिरफ्तारशुदा आरोपी मुरारीलाल मीना नर्सिंग ऑफीसर को बाद कराकर बन्द हवालात पुलिस थाना मथुरा गेट से वापस आया। तत्पश्चात समय- 05.15 पीएम पर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड जिसमें आज दिनांक 20.08.2026 को परिवादी व आरोपी के मध्य हुई रिश्वत लेनदेन वार्ता सेव है को कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है से स्कैन किया गया तो वॉइस रिकार्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड उक्त वार्ता की ऑडियो फाइल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय-05.25 पीएम पर परिवादी देवेन्द्र सिंह व आरोपी मुरारीलाल मीणा नर्सिगं ऑफीसर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हलैना जिला भरतपुर के मध्य आज दिनांक 20.08.26 को हुई रिश्वत लेनदेन वार्ता के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है, को कम्प्यूटर से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर के मैमोडी कार्ड में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के समक्ष रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में रूपान्तरण व हिन्दी भाषा में अनुवाद श्री परसराम कानि नं. 203 से तैयार करवाया जाकर श्री दुष्यतं सिंह सहायक प्रौग्रामर द्वारा तीन सीडी तैयार करवाई गई । उक्त तीन सीडीयों में सेव ऑडियों फाईल की FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। मूल सीडी एवं मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क “ बी ” अंकित करवाकर मूल सीडी एवं मुल्जिम प्रति सीडी को कपडे की थैली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। डिजीटल वाईस रिकार्डर में से मैमोरी कार्ड को निकालकर उसे एक प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर उक्त डिब्बी को कपडे की थैली में रखकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क “ एम-1 ” अंकित कर सील मौहर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा मूल व मुल्जिम सीडी व मैमोरी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री रवि कुमार हैड कानि0 52 को दुरूस्त हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना करवाया गया। तथा आईओ प्रति सीडी पर संबधितों के हस्ताक्षर कराकर खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय- 07.40 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान कल दिनांक 21.08.26 को 10.00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर रूखसत किया गया एवं परिवादी को कार्यालय में ही रूकने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात दिनांक 21.08.26 समय- 10.00 एएम पर पूर्व से पाबंदशुदा दोना स्वतंत्र गवाहान ब्रजेश कुमार एवं सोन्टी सिंह उपस्थित कार्यालय आए जिन्हे कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात समय- 10.10 एएम पर श्री अवधेश कुमार हैडकानि. नं. 68 , श्री रवि कुमार हैडकानि0 नं. 52 मय चालक मनोज कुमार 647 मय सरकारी बोलेरो से बंद हवालात आरोपी श्री मुरारीलाल मीना को लाने हेतु पुलिस थाना मथुरागेट रवाना किया गया। तत्पश्चात समय- 10.25 एएम पर श्री अवधेश कुमार हैडकानि. नं. 68 , श्री रवि कुमार हैडकानि0 नं. 52 मय चालक मनोज कुमार 647 मय सरकारी बोलेरो के फिकरा उपरोक्त का रवानाशुदा बाद लेकर बंद हवालात आरोपी श्री मुरारीलाल मीना उपस्थित कार्यालय आये आरोपी को जाब्ता की निगरानी में कार्यालय में बिठाया गया। तत्पश्चात समय- 10.30 ए.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही श्री रितेश कुमार कानि. नं. 64 द्वारा रिश्वत राशि बरामदगी, हाथ धुलाई व पेंट धुलाई की विभागीय वीडियो कैमरा द्वारा कराई गई वीडियोग्राफी की तीन सीडी तैयार की जाकर सीडीयों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर कराये जाकर मूल प्रति एवं मुल्जिम प्रति सीडी को सफेद कपडे की थैलियों में अलग- अलग रखकर थैलियों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर शील्ड मौहर किया जाकर मार्क 'वी' अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया एवं एक सीडी को अनुसंधान अधिकारी के लिए खुला रखा गया। शील्ड सीडी को मालखाना प्रभारी श्री रवि कुमार हैडकानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। फर्द रिश्वत राशि बरामदगी वीडियोग्राफी पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गयी। तत्पश्चात समय- 11.30 ए.एम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 83 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति गवाह श्री सोन्टी सिंह को दी गई। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया। अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री मुरारीलाल मीना पुत्र श्री रामकरण मीना जाति मीना उम्र 49 साल निवासी बाई पुलिस थाना हलैना जिला भरतपुर हाल नर्सिंग ऑफीसर ग्रेड-।। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हलैना जिला भरतपुर द्वारा परिवादी श्री देवेन्द्रसिंह से उसकी बेरोजगारी भत्ता की हाजरी ऑनलाईन करने की एवज में 500 रूपये प्रति माह के हिसाब से 04 माह का 2000 रूपये रिश्वत की मांग कर परेशान करना व दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 19.08.26 को 1500 रूपये की मांग करना एवं 500 रूपये वक्त रिश्वत मांग सत्यापन प्राप्त करना एवं वक्त रिश्वत लेनदेन दिनांक 20.08.26 को शेष रिश्वत राशि 1,000 लेते हुए रंगे हाथों पकडे जाने का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित वर्ष 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर गिरफ्तार किया गया। उक्त आरोपी के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर प्रेषित है।(महेन्द्र सिंह)पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,भरतपुर

.............कार्यवाही पुलिस...........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक, भरतपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री मुरारीलाल मीना पुत्र श्री रामकरण मीना जाति मीना उम्र 49 साल निवासी बाई पुलिस थाना हलैना जिला भरतपुर हाल नर्सिंग ऑफीसर ग्रेड-।। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हलैना जिला भरतपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री शंकर सिंह सोलंकी,पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाईमाधोपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 378 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1380-83 दिनांक 23.08.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर 2- निदेशक(अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज भरतपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SHANKAR SINGH **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 23/08/2026 13:56:13

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1977				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)